



उत्तराखंड सरकार

कार्यालय तहसीलदार द्वारा प्रदत्त

उत्तराखंड के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाती प्रमाण पत्र

(जैसा की उ० प्र० पुर्नगठन अधिनियम 2000 के अंतर्गत उत्तराखंड में लागू हुआ)

जिला : नैनीताल

तहसील : कालाढूंगी

आवेदन पत्र संख्या : UK22ES0800047442

जारी दिनांक : 10-February-2022

प्रमाणित किया जाता है कि	कुमारी आरती गोस्वामी
पुत्री	प्रताप गिरी गोस्वामी
माता का नाम	माधवी देवी
निवासी ग्राम/नगर पालिका क्षेत्र	दोहनिया
पता	ग्राम दोहनिया, तहसील कालाढूंगी, जिला नैनीताल
पट्टी/लेखपाल क्षेत्र	नौदा
तहसील	कालाढूंगी
जिला	नैनीताल

उत्तराखंड के राज्य की गोसाईं पिछड़ी जाती के व्यक्ति हैं

यह जाती उ० प्र० लोक सेवा (अनुसूचित जातियों , जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994) जैसा कि उत्तराखंड राज्य में प्रभावी है। की अनुसूची - एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि कुमारी आरती गोस्वामी उक्त अधिनियम 1994 की अनुसूची - दो (अधिनियम संख्या 22/16, 92-का -1995 टी०सी० दिनांक 08 दिसम्बर 1995 के द्वारा यथा संशोधित) से आच्छदित नहीं है।

कुमारी आरती गोस्वामी तथा समस्त परिवार उत्तराखंड प्रदेश के

ग्राम : दोहनिया

पट्टी / लेखपाल : नौदा

तहसील : कालाढूंगी

नगर / जिला : नैनीताल

यह प्रमाण पत्र पटवारी / लेखपाल (नौदा) की जांच के आधार पर निर्गत किया जाता है।

केंद्र आईडी : 243335210019

संचालक / जारी कर्ता के हस्ताक्षर :

Digitally Signed
Signed by: **PRIYANKA RANI**
Date: 10 Feb 2022
Time: 10:04:07 am
तहसीलदार

जिला : नैनीताल

तहसील : कालाढूंगी